

5.1.4 Regarding Organization wide awareness and undertakings on policies with Zero tolerance.

[1] ICC organized One Day Workshop on “Awareness Programme on Gender Sensitivity” for Conveners/ Members of ICC working in Affiliated Colleges/ Institutions, University Teachers and Research Scholars of the University held on March 22, 2022





3/17/2021

Kurukshetra University Mail - (no subject)

ICC KUK <icc@kuk.ac>

(no subject)

1 message

NEELAM RANI DHANDA <ndhanda@kuk.ac.in>
To: icc@kuk.ac.in

Wed, Mar 17, 2021 at 11:05

लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर हुई कार्यशाला महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त करने को केयू में है आंतरिक शिकायत कमेटी : प्रो. सचदेवा

भारत न्यूज | कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की ओर से मंगलवार को लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि केयू कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा व मुख्य वक्ता डॉन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. मंजुला चौधरी रही। प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि केयू हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा व हितों के लिए प्रतिबद्ध है। केयू को कार्यकारिणी में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यकारी परिषद द्वारा एक विशेष नीति अनुमोदित है। विश्वविद्यालय समुदाय के सभी सदस्य, जिनमें अध्याई या अल्पकालिक पद शामिल हैं, इस नीति के अधीन हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को यौन उत्पीड़न, धमकी या शोषण से मुक्त करने के लिए ही विश्वविद्यालय में आंतरिक शिकायत कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को इस बारे में जागरूक करें व समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व को समझें। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अधिकतर छात्राएं हैं और इन



कुरुक्षेत्र | आंतरिक शिकायत कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते केयू कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा।

उनको सुरक्षित कैम्पस उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित है।

मुख्य वक्ता डॉन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. मंजुला चौधरी ने कहा कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में छात्रों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए आईसीसी की ओर से कई कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जात है। आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष प्रो. नीलम डोंडा ने मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता का स्वागत किया। इस

मौके पर पंजाबी युनिवर्सिटी पंजाब के महिला अध्ययन केंद्र की डॉ. रिनु, डॉन फैक्ट्री ऑफ लॉ प्रो. सुनील वादव, प्रो. सरस्वती खेतिया, प्रो. सुदेश, डॉ. मुकेश कर्दिवान, डॉ. रंजना, कुटा प्रधान डॉ. परमेश कुमार, रॉबिन डॉ. शिवक गौड़, लोकसंस्कृति विभाग के उपनिदेशक डॉ. दीपक राय बच्चर, डॉ. सुमन डोंडा, डॉ. मंगीत सेठी, डॉ. सुशील चौहान, डॉ. हृदय सिंह, डॉ. जितेंद्र खटकड़, डॉ. गुरचरण सिंह और डॉ. हरविंदर सिंह मौजूद रहे।

16/8/20 मता निर्माण के लिए वर्कशॉप का आयोजन

कुलकर्णी विचारधारा को कार्यक्षम बनाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया।



वर्कशॉप में भाग लेती महिलाएं।

वर्कशॉप के माध्यम से महिलाओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान महिलाओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया।

यौन उत्पीड़न पर बनी आंतरिक शिकायत कमेटी सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण

आंतरिक शिकायत कमेटी के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान महिलाओं को शिकायत के महत्व के बारे में बताया गया।



प्रशिक्षण के दौरान महिलाएं।

प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को शिकायत के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान महिलाओं को शिकायत के महत्व के बारे में बताया गया।

प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को शिकायत के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान महिलाओं को शिकायत के महत्व के बारे में बताया गया।

आज समाज

प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर कार्यशाला

कुलकर्णी विचारधारा को कार्यक्षम बनाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया।

कैम्प में यौन उत्पीड़न शिकायत कमेटी की वर्कशॉप

कुलकर्णी विचारधारा को कार्यक्षम बनाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को शिकायत के महत्व के बारे में बताया गया।

संस्कृत

आज कर

6-11-19

कुविवि में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला

महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम पर डाला प्रकाश

6-11-19

हरिभूषि मयूज अमृतशेखर



सदस्यों को दिया प्रशिक्षण

उत्पीड़ित विभिन्न व्यवहारिक अपराधों के संरक्षण से संरक्षकों को प्रशिक्षित किया। आईसीसी के सदस्यों के अधिनियम से संबंधित आठवीं संस्करण का विवरण दिया। उन्होंने महिलाओं को लक्ष्यित अपराधों से होने वाले विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न के बारे में बताया। डॉ. मीनू से संरक्षण और इन्फॉर्मेशन के संरक्षण के बीच संबंध भी बताया। उन्होंने कई विषयों जैसे विवादास्पद बर्तन करना, इन्फॉर्मेशन की प्रतिक्रिया, उल्लंघन, आईसीसी की शक्तियां, कार्यवाही, कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल का अर्थ पर व्याख्यान दिया। इन कॉन्सल्टिंग को आईसीसी के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए बताया। डॉ. अशोक कुमार, कुमायूरी विभाग (एन डीएम) के साथ किया। आईसीसी सदस्यों के अधिनियम अन्वय में डॉ. अशोक कुमार, डॉ. मीनू से संरक्षण और इन्फॉर्मेशन के संरक्षण के बीच संबंध भी बताया। डॉ. मीनू से संरक्षण और इन्फॉर्मेशन के संरक्षण के बीच संबंध भी बताया। डॉ. मीनू से संरक्षण और इन्फॉर्मेशन के संरक्षण के बीच संबंध भी बताया।

कुमायूरी। संरक्षण में मीनू अधिनियम विभाग।

आईसीसी की संरक्षण के बारे में बताया। डॉ. मीनू ने इस कार्यवाही के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कुमायूरी विभाग के आईसीसी की संरक्षण तथा कार्यवाही के बारे में बताया। रिपोर्टिंग करने वाले डॉ. मीनू ने कार्यवाही पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (पीकॉम, रिपोर्ट और निवारण) अधिनियम 2013 के साथ अनुभागों का विवरण से वर्णन किया।

हरिभूषि

केचू में यौन उत्पीड़न शिकायत कमेटी की वर्कशॉप

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनी आंतरिक शिकायत कमेटी (आईसीसी) ने अपने सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मंगलवार को वर्कशॉप आयोजित की। इस वर्कशॉप की रिसोर्स पर्सन डॉ. मीनू ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के सभी अनुभागों के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से सदस्यों को प्रशिक्षित किया। डॉ. मीनू ने सेक्सुअल हारासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट के बीच अंतर के बारे में भी बताया। उन्होंने कई विषयों जैसे शिकायत दाखिल करना, जांच की प्रक्रिया, समझौता, आईसीसी की शक्तियां, कर्तव्य और वार्षिक रिपोर्ट बनाने पर व्याख्यान दिया। वर्कशॉप में आईसीसी के सदस्यों प्रो. एसएस बूरा, प्रो. एसके वशिष्ठ, डॉ. वनिता ढींगरा, डॉ. अंकेश्वर प्रकाश, पिकी कालड़ा, किरण और विक्रम ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आईसीसी की अध्यक्ष प्रो. अनिता यादव, डॉ. शर्मा, डॉ. रंजन गुप्ता, डॉ. वंदना, वीना, भारती और नेहा मौजूद रही।



जागरूकता बार्ता में संबोधित करते हुए एडवोकेट दिव्या चुघ (दायाँ) • पीआरओ

कोई भी परेशानी होने पर उठाएं आवाज : चुघ

जास, कुरुक्षेत्र : एडवोकेट दिव्या चुघ ने कहा कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए। महिलाओं को जागरूकता से ही यौन उत्पीड़न के मामले धम सकते हैं। वह मंगलवार को आइआइएचएस में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) की ओर से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकबाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013

पर आयोजित जागरूकता बार्ता में संबोधित कर रही थी। बावोकेमेस्ट्री विभाग की अध्यक्ष डॉ. अनिता दुआ ने उनका स्वागत किया। इस्टीमेटेड ऑफ इंटिग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज (आईआईएचएस) की चेयरपर्सन प्रो. अनिता ने कहा कि कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है। उन्होंने आईसीसी की कपोजीशन, पॉलिसी का दायरा, शिकायत के तरीका उपलब्ध मानदंडों पर प्रकाश डाला।